भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *482 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण क्षेत्र की परिचालन क्षमता

†*482. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में पोत निर्माण एवं मरम्मत क्षेत्र की वर्तमान परिचालन क्षमता कितनी है; और

(ख) उक्त क्षेत्र में क्या-क्या प्रमुख चुनौतियां पेश आ रही हैं तथा इस क्षेत्र में किन नीतिगत पहलों या प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"पोत निर्माण क्षेत्र की परिचालन क्षमता" के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा पूछे गए दिनांक 04.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *482 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश राज्य में, पोत निर्माण और मरम्मत कार्य मुख्य रूप से काकीनाड़ा और विशाखापट्टणम क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक पोत निर्माण मुख्य रूप से छोटे जलयानों के निर्माण तक सीमित है, सिवाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) के, जो बड़े जलयानों को हैंडल करता है।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और सैन मरीन शिपयार्ड, मैट मरीन, ओम साई मरीन और सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कई निजी प्रचालक, पारिस्थितिकी तंत्र में संचालन करते हैं, जो विशिष्ट और सामयिक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 11.12.2024 के जी.ओ.एम.एस.सं.21 के माध्यम से आंध्र प्रदेश समुद्रिक नीति, 2024 जारी की है। इस नीति के स्तंभों में से एक शिपयार्ड और क्लस्टर विकास है, जिसके तहत आधुनिक शिपयार्ड और मरम्मत सुविधाएं स्थापित करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना तथा शिपयार्ड और क्लस्टर विकास के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है।

नीति में इस स्तंभ के कुछ प्रोत्साहनों में, स्थान की पहचान के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, केंद्रीकृत भूमि एकत्रीकरण, विकास और आवंटन, कर लाभ, सब्सिडी और वित्तीय सहायता, डब्ल्यूएफआर (वाटर फ्रंट रॉयल्टी) की छूट, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अदायगी, एसजीएसटी छूट, विद्युत शुल्क से छूट आदि शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर पोत निर्माण क्लस्टरों के विकास के लिए ईओआई जारी की है, जिससे पोत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक पोत निर्माताओं को राज्य में पोत निर्माण गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

भारत सरकार ने देश में पोत निर्माण कार्यों को उन्नत और आधुनिक बनाने संबंधी कई कदम उठाए हैं**,** जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पोत निर्माण गतिविधियों में और अधिक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए 29.01.2025 को पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

(ii) नवंबर, 2021 में सरकार ने भारतीय शिपयार्डों में बनाए जाने वाले टगों की खरीद के लिए महापत्तनों द्वारा उपयोग हेतु पांच प्रकार के मानक टग डिजाइन जारी किए हैं।

(iii) स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 20.09.2023 को किसी भी प्रकार के जलयान-चार्टर में पालन किए जाने वाले राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल (आरओएफआर) के पदानुक्रम को संशोधित किया है, जिसे निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आरओएफआर का संशोधित पदानुक्रम इस प्रकार है:

(1) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व

(2) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व

(3) विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व

(4) विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व

(5) भारतीय निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व

(iv) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्डों में निर्मित इन टगों के साथ पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय प्रचालनों को अपनाने को प्रोत्साहित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना है।

(v) सरकार ने अंतर्देशीय जलयानों के लिए हरित नौका दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

(vi) भारत सरकार ने 13 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 द्वारा अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की अद्यतन समन्वित मास्टर सूची में 'शिपयार्ड' को शामिल किया है।

(vii) स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने 19.05.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा सरकारी प्रयोजनों के लिए अथवा उनके अपने उपयोग के लिए प्रयुक्त किसी भी प्रकार के जलयान (जलयानों) की खरीद के लिए उनके द्वारा दिए गए नए पोत निर्माण ऑर्डरों का मूल्यांकन करने और उनकी निविदाएं सौंपने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जब भी किसी जलयान (जलयानों) की खरीद, निविदा के माध्यम से की जाती है, तो पात्र भारतीय शिपयार्डों के पास "राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल" होगा, ताकि वे विदेशी शिपयार्ड द्वारा उद्धृत मूल्यांकित न्यूनतम मूल्य से मेल कर सकें, जिसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्ड में पोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ाना है।

इसके अलावा, पोत निर्माण और पोत-स्वामित्व से संबंधित सरकारी निकायों को भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के अनुसार स्थानीय सामग्री सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है। इस आदेश के अनुसार, 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य के पोतों की खरीद, भारतीय शिपयार्डों से की जानी अपेक्षित है।

(viii) भारत सरकार के बजट भाषण, 2025 में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- लागत संबंधी नुकसानों से निपटने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को पुन: तैयार किया जाएगा। सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसमें भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट्स भी शामिल किए जाएंगे।
- निर्दिष्ट आकार से बड़े आकार वाले जलयानों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।
- पोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिपबिल्डिंग क्लस्टर को सहायता दी जाएगी। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अवसंरचना संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं, कौशल देना और प्रौद्योगिकी शामिल होगा।
- समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु, 25,000 करोड़ रुपए की अक्षय निधि से एक समुद्री विकास निधि सृजित की जाएगी। यह वितरित सहायता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक का योगदान होगा, और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।
- पोतों के निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट को और अगले दस वर्षों तक जारी रखना।

*****